उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानो रोड़ रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

संख्याः 2026/2–66/(लेखा) 2024–25 दिनांक : 18 अगस्त, 2025

।। नीलामी/विक्रय सूचना।।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय में पूर्ववर्ती वर्षों में क्रय की गई आई.टी. उपकरणों एवं इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों की नीलामी जहां हैं जैसी है, स्थिति में है तथा अप्रयुक्त परीक्षा सम्बन्धी सामग्री (पुराने पेपर आदि की रद्दी) का विक्रय बोली के आधार पर दिनांक 29.08.2025 को सांय 3.00 बजे कार्यालय उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर, देहरादून में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी अथवा विक्रय हेतु धरोहर धनराशि क्रमशः ₹ 2500.00 एवं ₹ 3000.00 जमा करने के उपरान्त बोली में सम्मिलित हो सकता है। उक्त दोनों नीलामी अथवा विक्रय हेतु बोलीदाता निर्धारित अर्हताओं के अन्तर्गत फर्मे/व्यक्ति पृथक–पृथक प्रतिभाग कर सकते हैं।

उच्चतम बोलीदाता को सामग्री उपलब्ध करा दी जायेगी। नीलामी के सम्बन्ध में शर्तें आयोग की वैबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड की जा रही हैं।

18.8.25

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)
सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानो रोड़ रायपुर, देहरादून।
वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

संख्याः 2026/2–66/(लेखा) 2024–25 दिनांक : 18 अगस्त, 2025

नीलामी की शर्ते

1– आयोग कार्यालय में अप्रयुक्त परीक्षा सम्बन्धी सामग्री (पुराने पेपर आदि की रद्दी) का विक्रय बोली के आधार पर किया जाना है।

2– सामग्री के विक्रय हेतु बोलीदाता को इस प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ₹ 3000 (तीन हजार रूपये) की धनराशि आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। इस धनराशि को जमा किये बिना कोई भी फर्म/व्यक्ति विक्रय बोली में शामिल नहीं हो सकेगा।

3– विक्रय की जाने वाली समाग्री (पुराने पेपर आदि की रद्दी) कार्यालय के स्टोर में संरक्षित है। उसे फाड़कर छोटे–छोटे टुकड़ों में विभक्त करने फलस्वरूप ही कार्यालय परिसर के बाहर ले जाने की अनुमति होगी।

4– विक्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बन्ध में जानकारी दिनांक 29.08.2028 तक किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 3.00 तक आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

5– यदि स्वीकृत बोलीदाता सामग्री लेने से इन्कार करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

6– विक्रय की जाने रद्दी पेपर की न्यूनतम बोली ₹ 10.00 (दस रुपये मात्र) प्रति किग्रा. से प्रारम्भ होगी, जिसमें रंगीन पेपर एवं सफेद पेपर एवं गत्ते अथवा मिक्स पेपर एवं गत्ता की दरों के अनुसार सामग्री दी जायेगी।

7– बोली स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बंधित द्वारा पेपर छोटे टुकड़ों में फाडकर 20 दिन के अन्तर्गत सामग्री का भार करवाते हुए धनराशि आयोग कार्यालय में जमा कर प्राप्त करनी होगी।

8–बोलीदाता सामग्री की नीलामी शुरु होने से पूर्व उसी दिन भी सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं।

9– विक्रय बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

18.8.25

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)
सचिव,